प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 3166/2006

याचिकाकर्ता : श्रुति चंद्राकर, आयु 18 वर्ष, पिता डॉ. ए. के. चंद्राकर, निवासी-एफ-2, पेंशन बाड़ा, रायपुर,

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :
1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ०ग०)
2) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, जिला रायपुर
3) छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, द्वारा परीक्षा नियंत्रक, पता-सी/168, टैगोर नगर, रायपुर(छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री राजा शर्मा, अधिवक्ता।
: राज्य के लिए श्री यशवंत सिंह, शासकीय अधिवक्ता

मौखिक आदेश

(दिनांक 3 जुलाई, 2006 को पारित)

संक्षेप में, याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसका शैक्षणिक प्रदर्शन असाधारण रूप से बहुत अच्छा और सुस्थिर रहा है, जबकि प्री मेडिकल टेस्ट में उसे केवल 78% अंक ही दिए गए हैं। याचिकाकर्ता का यह स्वयं का सुविचारित मूल्यांकन है कि वास्तव में उसे दिए गए अंकों से अधिक अंक मिलने चाहिए थे। उपरोक्त आधार पर, याचिकाकर्ता ने तीसरे उत्तरवादी अर्थात

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को निर्देश देने की मांग की है कि वह पूर्व चिकित्सा परीक्षा से संबंधित संपूर्ण अभिलेख उत्तर पुस्तिका सहित प्रस्तुत करे, याचिकाकर्ता को अपनी उत्तर पुस्तिका और नमूना उत्तरों का निरीक्षण और सत्यापन करने की अनुमति दे, याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवाए और ऐसे पुनर्मूल्यांकन के बाद प्रावीण्य सूची को संशोधित करे। ईप्सित अनुतोष अनुदत्त नहीं की जा सकती हैं । महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम परितोष भूपेश कुरमारशेठ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और उत्तरोत्तर कई अन्य निर्णयों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जब तक किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन या अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण का प्रावधान न हो, तब तक न्यायालय किसी शैक्षणिक निकाय को उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के निर्देश जारी करने में न्यायानुमत नहीं होगा। चाहे जो भी हो, याचिकाकर्ता ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले परीक्षा निकाय या परीक्षकों के विरुद्ध दुर्भावना का कोई आरोप नहीं लगाया है। याचिकाकर्ता द्वारा अपने प्रदर्शन के संबंध में किए गए स्व–मूल्यांकन को न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा ईप्सित अनुतोष अनुदत्त करने का वैध आधार नहीं माना जा सकता है। इस रिट याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं बनता है। याचिका विफल होती है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

ब्रजेश

1. ए. आई. आर 1984 एस. सी. 1543